## RULES OF WATERSHED COMMITTEE - CONTD.

बाटरशेड कमेटी के विघटन के उपरान्त, उसकी अवल सम्पत्ति ग्राम सभा की सम्पत्ति तथा वल सम्पत्ति ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी। इस अवधि के सभी अभिलेख, जिनका सम्बन्ध डी.आर.डी.ए. के फन्ड से है, डी. आर.डी.ए. को हस्तांतरित हो जावेंगे। **बी.आर.डी.ए. के पी.आई.ए.** तथा वाटरशेंड कमेटी के पंजीयन नियमों के सभी प्रावधान डब्ल्यू.सी. पर लागू होंगे। प्रभाणित किया जाता है कि डी.आर.डी.ए. द्वारा प्रकाशित उल्ल्यू सी. के नियमों की यह प्रमाणित प्रति है। (बस्यू सी. के चार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित) जुला मग्री ......(पी.आई.ए. का सदस्य)